रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238885
CG-DL-E-16092022-238885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944
No. 623] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 703(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 340 (अ) तारीख 5 मई, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 5 मई, 2022, द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 5 मई, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 नवंबर, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

(3) इन संशोधित नियमों के प्रवर्तन की तारीख से पूर्व प्रदान किए या नवीनीकृत, व्यवसाय प्रमाणपत्र उनके अवसान की तारीख तक प्रवर्तन में बने रहेंगे, ऐसे व्यवसाय प्रमाणपत्रों का पश्चातवर्ती नवीनीकरण संशोधित नियमों के अनुसार होगा ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"33. रजिस्ट्रीकरण से छूट के लिए शर्त – धारा 39 के परंतुक के प्रयोजन के लिए, यदि कोई मोटरयान किसी विनिर्माता या डीलर या मोटरयान के आयातकर्ता या नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण के कब्जे में है, तो रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता से इस शर्त के अधीन छूट होगी कि इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, ऐसा विनिर्माता या डीलर या मोटरयान का आयातकर्ता या परीक्षण अभिकरण उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा जिसमें उक्त विनिर्माता या डीलर या मोटरयान के आयातकर्ता या परीक्षण अभिकरण का कारोबार का स्थान है ।"

3. उक्त नियमों में, नियम 34 में,

(i) उप-नियम (1) में, -

(क) "व्यवसाय प्रमाण पत्र के दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन प्ररुप 16 में किया जाएगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "व्यवसाय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन वाहन पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप में प्ररुप 16 में किया जाएगा " शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) "नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस" शब्दों के पश्चात् "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ग) अंत में निम्नलिखित परंतुक के अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु मोटरयान के किसी डीलर द्वारा आवेदन के साथ, संबंधित मोटरयान के विनिर्माता द्वारा पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से जारी किया प्ररुप 16क में डीलरशिप प्राधिकार प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाएगा ।";

(ii) उप-नियम (2) में, "पृथक्" शब्द का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अपेक्षित व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्हों की संख्या आवेदन में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।"।

4. उक्त नियमों के, नियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"35. व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करना या नवीनीकरण -

(1) व्यवसाय प्रमाणपत्र **प्रदान करने** या नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यदि समाधान हो जाता है तो, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर प्ररुप 17 में डाउनलोड और प्रिंट किए जा सकने वाले प्ररूप में, पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप में, आवेदक को व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा ।

(2) यदि आवेदन उपरोक्त 30 दिन की अवधि के भीतर नहीं निपटाया जाता है तो आवेदन अनुमोदित हुआ समझा जाएगा और व्यवसाय प्रमाणपत्र, पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया या नवीनीकृत हुआ समझा जाएगा ।

(3) व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न, व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या के पश्चात 0001 से प्रारंभ होकर 9999 तक वाले चार अंकीय संख्या के साथ होगी, उदाहरण के लिए: एबी 12 क 1234 टीसी 0001, जिसमें , -

(i) ए बी- राज्य कोड दर्शाता है,

(ii) 12- आरटीओ कोड दर्शाता है,

(iii) (ए). – यान की क्रम संख्यांक, नियम 34(2) में यथाविहित, दर्शाता है, अर्थात् ए से जे तक,

(iv) 1234- किसी व्यवसाय प्रमाण पत्र के धारक को संबंधित प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित चार अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या दर्शाता है ;

(v) टीसी- व्यवसाय प्रमाणपत्र दर्शाता है,

(4) व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए किसी भी आवेदन को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और लिखित रूप में जब तक ऐसे इंकार के कारणों को नहीं दिया जाता है ।"

(5) व्यवसाय प्रमाणपत्र, डीलरशिप प्राधिकार प्रमाणपत्र के साथ शोरुम और कार्यशाला या सर्विस सेंटर पर सहज दृश्य किसी स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 35 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"35क. अतिरिक्त व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न के लिए आवेदन -

(1) अतिरिक्त व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रदान करने के लिए आवेदन, प्ररुप 17क में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जाएगा जिसने व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान किया है और पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से संदत्त की जाने वाली नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस संलग्न होगी ।

(2) किसी व्यवसाय प्रमाणपत्र के संबंध में अतिरिक्त व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रदान करने के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यदि समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास कोई विधिमान्य व्यवसाय प्रमाणपत्र है और उसे अतिरिक्त व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न अपेक्षित है तो उक्त आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्ररुप 17ख में आवेदक को अतिरिक्त व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी कर सकेगा ।

"35ख. व्यवसाय प्रमाण पत्र में कारबार स्थान के पते में परिवर्तन की सूचना —

1. यदि व्यवसाय प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट कारबार स्थान परिवर्तित हो जाता है तो तो व्यवसाय प्रमाणपत्र धारक नियम 81 में विनिर्दिष्ट समुचित फीस के साथ प्ररुप 17ग में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे परिवर्तन के बारे में उस प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा जिसने प्रमाण पत्र जारी किया था ।

2. कारोबार के स्थान में परिवर्तन की सूचना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, का यदि समाधार हो जाता है कि आवेदक के पास कोई विधिमान्य व्यवसाय प्रमाणपत्र है तो व्यवसाय प्रमाणपत्र में नया पता अभिलिखित करेगा ।

6. उक्त नियमों के, नियम 37 को उसके उप नियम (1) के रुप में पुन:संख्याकित किया जाएगा, और

(क) इस प्रकार पुन:संख्यांकित उप नियम (1) में, "बारह मास" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) इस प्रकार पुन:संख्यांकित उप नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम पुन:संख्यांकित किया जाएगा, अर्थात्

"(2) व्यवसाय प्रमाणपत्र डीलरशिप प्राधिकार के साथ एकीकृत किया जाएगा और मोटरयानों के विनिर्माता द्वारा डीलरशिप प्राधिकार के रद्द करने पर व्यवसाय प्रमाणपत्र स्वत: ही अविधिमान्य हो जाएगा ।"।

7. उक्त नियमों के, नियम 38 का लोप किया जाएगा ।

8. उक्त नियमों के, नियम 39 में, -

(क) उप-नियम (1) में, "ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल सहायक के डीलर या विनिर्माता या नियम 126 में विनिर्दिष्ट कोई परीक्षण अभिकरण" शब्दों और अंकों के स्थान पर "व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न नियम 51 में विनिर्दिष्ट आयामों के अनुसार लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में होगा और मोटर यान के आगे और पीछे प्रदर्शित किया जाएगा।"

9. उक्त नियमों के, नियम 40 के शीर्षक में "व्यवसाय प्रमाण पत्र या व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और संख्यांक के उपयोग पर निर्बंधन" शब्दों के स्थान पर "व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के उपयोग पर निर्बंधन" शब्द रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के, नियम 40 में,

(क) "प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण चिन्ह" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) "प्रमाण पत्र या संख्यांक" शब्दों के स्थान पर "व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह" शब्द रखा जाएगा ।

11. उक्त नियमों के, नियम 41 में, शीर्षक में, "ऐसे प्रयोजनों जिसके लिए मोटर यान का व्यवसाय प्रमाण पत्र के साथ उपयोग किया जा सकेगा " शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्रयोजनों जिसके लिए मोटर यान व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न के साथ उपयोग किया जा सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के, नियम 41 में,

(क) "व्यवसाय प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर "व्यवसाय रजिस्ट्रिकरण चिन्ह" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (ज) का लोप किया जाएगा ।

13. उक्त नियमों के, नियम 43 में,

(क) शीर्षक में, "व्यवसाय प्रमाणपत्र का रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर "व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्नों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-नियम (3) में, "प्ररुप 19" शब्दों के पश्चात् "जो/जिसमें" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

14. उक्त नियमों के, नियम 43 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"43क. वस्तुओं की सूची का रजिस्टर- मोटर यान का कोई प्रत्येक डीलर जिसके पास कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र है पोर्टल पर प्ररुप 19क में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मोटरयानों की वस्तुओं के रजिस्टर को अनुरक्षित करेगा ।

43ख. शोरुम पर यान कीमत प्रदर्शित करना - मोटर यान का कोई प्रत्येक डीलर जिसके पास कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र है अपने कारबार परिसर में स्पष्ट रुप से दिखने वाले स्थान पर मॉडलवार यान विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित यान मूल्य सभी लागू करों और फीसों के साथ अलग-अलग प्रदर्शित किया जाएगा ।"

15. उक्त नियमों के, नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**44. व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलम्बन या रद्दकरन**– यदि मोटरयानों के विनिर्माता द्वारा डीलरशिप अधिप्रमाणन प्रमाणपत्र को रद्द किया जाता है या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यवसाय प्रमाणपत्र के धारक ने नियम 39 से 43ख तक के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस तथ्य को युक्तियुक्त साक्ष्य के साथ धारा 213 के अधीन स्थापित मोटरयान विभाग के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा और विभाग का उक्त अध्यक्ष व्यवसाय प्रमाणपत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसके द्वारा धारित व्यवसाय प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा ।"

16. उक्त नियमों के, नियम 45 में, --

(क) " रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के " शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) " धारा 213 के अधीन स्थापित मोटरयान विभाग का अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी " शब्द रखे जाएंगे ।

17. उक्त नियमों के, नियम 46 में, उपनियम (1) में, "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "संबद्ध प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

18. उक्त नियमों के, नियम 81 में, सारणी में, क्रमांक 1 और क्रम संख्यांक (2) तथा उससे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1	प्रत्येक व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न या प्रत्येक व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिह्न के अतिरिक्त प्रदान करने के संबंध में व्यवसाय प्रमाण पत्र का प्रदान करना या नवीनीकरण		34(1), 35क(1)	
	(क) मोटरसाइकिल	दो हजार पांच सौ रुपए		
	(ख) अनुकूलित यान	पांच सौ रुपए		

	(ग) अन्य	पांच सौ रुपए		
2	व्यवसाय प्रमाण पत्र में कारोबार स्थान के पते में परिवर्तन के लिए सूचना	एक हजार रुपए	35ख (1)"	

19. उक्त नियमों में, प्ररुप 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्

"प्ररुप 16

[नियम 34(1) देखें]

व्यवसाय प्रमाणपत्र और व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप

सेवा

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

…………………………….

…………………………….

मैं/हम व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने/नवीनीकरन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं -

1. आवेदक का नाम :…………………………………………………………।

2. पुत्र /पत्नी /पुत्री :……………………………………………………………।

3. आवेदक का पूरा पता (साक्ष्य संलग्न करें)

4. कारोबार स्थान का पता (मोटरयान के डीलरों की दशा में) :

(क) शोरुम का पता......................

(ख) कार्यशाला(ओं) /सर्विस सेंटर(रों) का पता............

(ग) यानों के लिए गोदाम का पता...................

5 . क्या आवेदक मोटरयान का कोई विनिर्माता या मोटरयान का डीलर या उक्त नियमों के नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण या मोटरयान आयातकर्ता या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट द्वारा कोई इकाई है (यदि आवेदक मोटरयानों का डीलर है तो मोटरयान विनिर्माता द्वारा जारी डीलर अधिप्रमाणन प्रमाणपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)

क्र.सं.	यान का प्रवर्ग	अपेक्षित व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह्रों की संख्या	संदत्त फीस की रकम	रसीद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

घोषणा

मैं/हम घोषित करते हैं कि व्यवसाय प्रमाणपत्र मुझे/हमें सदभावनापूर्वक व्यवसाय प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

स्थान.................................

तारीख......................................

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

आवेदक के हस्ताक्षर या आवेदक के डिजिटल/ई हस्ताक्षर

क्यूआर कोड

20 उक्त नियमों में, प्ररुप 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप 16क

[नियम 34(1) देखें]

मोटर यान के विनिर्माता द्वारा प्राधिकरण प्रमाणपत्र

डीलरशिप प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या (पोर्टल के माध्यम से स्वतः उत्पन्न होना)

1. यान विनिर्माता का नाम :....................................
2. कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या :...
3. जीएसटी रजिस्ट्रीकरण संख्या :...
4. पैन :..
5. पता :.....................................
6. ई-मेल पता :..

हम (यान विनिर्माता का नाम) उपरोक्त विवरण के साथ प्रमाणित करते हैं कि हमें.................. (मोटर यान के डीलर का नाम) को हमारी कंपनी द्वारा................ विनिर्मित श्रेणी के मोटर यान की बिक्री और सेवा के लिए हमारे अधिकृत डीलर के रूप में नियुक्त किया है। हमारे द्वारा अधिकृत डीलर का विवरण इस प्रकार है-

1. डीलर का नाम :...................................
2. डीलर का मोबाइल संख्या :.......................................
3. डीलर का ई-मेल पता :..

4. डीलर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या :....................................

5. डीलर का पैन : ....

6. डीलर के कारोबार के स्थान का पता : ....

(क) शो रूम का पता......................................

(ख) कार्यशाला (ओं)/ सेवा केंद्र(ओं) का पता..

(ग) यान के लिए गोदाम का पता..............................

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

(ङ) आरटीओ कोड-

हम घोषणा करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार दी गई जानकारी सत्य है। हम किसी भी अशुद्धि या जानकारी को छिपाने के लिए खुद को उत्तदायी ठहराने का वचन देते हैं और हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा अधिकृत डीलर के पास यान की सर्विसिंग के लिए पर्याप्त कारोबार स्थान, पर्याप्त अवसंरचना,उपकरण और कुशल जनशक्ति है। हम यह भी वचन देते हैं कि यदि किसी भी समय उपरोक्त डीलरशिप प्राधिकरण हमारे द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो हम पोर्टल पर डीलरशिप प्राधिकरण प्रमाणपत्र तुरंत रद्द कर देंगे और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करेंगे जिसके द्वारा व्यापार प्रमाणपत्र जारी/नवीकृत किया गया है।

यान विनिर्माता के हस्ताक्षर"।

21. उक्त नियमों में, प्ररूप 17 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 17

[नियम 35(1) देखें)

व्यापार प्रमाणपत्र और व्यापार रजिस्ट्रेशन चिन्ह का प्ररूप

व्यापार प्रमाणपत्र

1. व्यापार प्रमाण पत्र संख्या ....

2. प्रमाणपत्र धारक का पूरा नाम और पता ....

3. कारोबार के स्थान का पता (मोटर यान के डीलरों के मामले में):

(क) शो रूम का पता ....

(ख) कार्यशाला (ओं)/सेवा केंद्र का पता (एस) ....

(ग) यान के गोदाम का पता ....

4. प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख ....

क्रम संख्या	यान की श्रेणी	डीलरशिप प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या (मोटर यान के डीलर के मामले में)	व्यापार रजिस्ट्रीकरण अंकों की आवंटित संख्या	भुगतान की गई राशि	शुल्क रसीद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(0001 से ****		

स्टेशन.............................

तारीख.............................

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
कोड

पूरे भारत में मान्य

क्यू आर कोड"

22. उक्त नियमों में, प्ररूप 17 के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्रों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 17क

[नियम 35क (1) देखें]

अतिरिक्त व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदान करने के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण,

....
मैं/हम अतिरिक्त व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह - प्रदान करने के लिए आवेदन करते हैं।

1 आवेदक का नाम :...

2. पुत्र/पत्नी/पुत्री : ....

3. आवेदक का पूरा पता-

4. शो रूम का पता (मोटर यान के डीलरों के मामले में):

क्र. सं.	व्यापार प्रमाणपत्र संख्या	व्यापार प्रमाणपत्र की वैधता	यान की श्रेणी	व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की आवंटित संख्या	अपेक्षित अतिरिक्त व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	भुगतान की गई राशि	रसीद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				क्रम संख्या 0001 से क्रम संख्या-			

आवेदक के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर/आवेदक के ई हस्ताक्षर"

"प्ररूप 17ख

[नियम 35क (2) देखें]

अतिरिक्त व्यापार रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी

1. प्रमाणपत्र धारक का पूरा नाम और पता ....

2. शो रूम का पता – (मोटर यान के डीलरों के मामले में)

क्र. सं.	व्यापार प्रमाणपत्र संख्या	यान की श्रेणी	व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की आवंटित संख्या	भुगतान की गई राशि	रसीद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			क्रम संख्या- से क्रम संख्या-		

क्यू आर कोड"

स्टेशन..............................

तारीख..............................

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

पूरे भारत में मान्य

प्ररूप 17ग

[नियम 35ख(1) देखें]

कारोबार के स्थान के पते में परिवर्तन की सूचना

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण,

....

....

व्यापार प्रमाण पत्र में अभिलिखित कारबार के स्थान का पता बदल दिया गया है, मैं/हम व्यापार प्रमाणपत्र में बदले गए पते को अभिलिखित करने का अनुरोध करते हैं।

1. आवेदक का नाम: ....

2. पुत्र/पत्नी/पुत्री: .... ……………………………………… ....

3. आवेदक का पूरा पता

4. कारोबार के स्थान का पता (मोटर यान के डीलरों के मामले में):

(क) शो रूम का पता –

(ख) कार्यशाला का पता (ओ)/सेवा केंद्र (ओ) –

(ग) यान के गोदाम का पता –

5. व्यापार प्रमाण पत्र संख्या...................................

6. व्यापार प्रमाण पत्र की वैधता...............................

आवेदक के हस्ताक्षर या

डिजिटल हस्ताक्षर/आवेदक के ई हस्ताक्षर"

23. उक्त नियमों में प्ररूप 18 का लोप किया जाएगा।

24. उक्त नियमों में, प्ररूप 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 19

[नियम 43 देखें]

ई-रजिस्टर पोर्टल पर व्यापार प्रमाण पत्र धारक द्वारा बनाए रखा जाएगा

1. डीलर का नाम-
2. डीलर शो रूम का पता-
3. जिला-
4. राज्य-
5. व्यापार प्रमाण पत्र संख्या
6. डीलरशिप प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या (मोटर यान के डीलरों के मामले में) –

क्र.सं.	मोटर यान की श्रेणी	मोटर यान की चेसिस संख्या	प्रयोजन जिसके लिए परिसर से बाहर भेजा गया	यान चालक का नाम	चालक का लाइसेंस संख्या	यान द्वारा परिसर छोड़ने की तारीख और घंटे	परिसर में लौटने या यान द्वारा गंतव्य तक पहुंचने की तारीख और घंटे	ई-हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर व्यापार प्रमाण पत्र धारक द्वारा अधिकृत व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								“

25. उक्त नियमों में, प्ररूप 19 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 19 क

[नियम 43 क देखें]

यान पोर्टल पर बनाए जाने वाले सुची का डिजिटल रजिस्टर

1. डीलर का नाम-
2. डीलर शो रूम का पता -
3. जिला-
4. राज्य-
5. व्यापार प्रमाणपत्र संख्या-
6. डीलरशिप प्राधिकरण प्रमाणपत्र संख्या-

क्र. सं.	यान श्रेणी	चेसिस संख्या	इंजन संख्या	विनिर्माता से यान की प्राप्ति की तारीख	अन्य डीलर से यान की प्राप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उस डीलर का नाम जिससे यान प्राप्त होता है	यान को दूसरे डीलर को स्थानांतरित करने की तारीख	डीलर का नाम जिसे यान स्थानांतरित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जमा करने की तारीख / टीआर	रजिस्ट्रीकरण संख्या / टीआर संख्या	

[सं आर टी -11036/193/2021- एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून,1989 द्वारा और अंतिम संशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 660(अ) तारीख 26 अगस्त, 2022 के अधीन प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2022

G.S.R. 703(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 340 (E), dated the 5th May, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 5th May, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 5th May, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 39 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of November, 2022.

(3) Trade certificate granted or renewed, before the date of enforcement of these amended rules, shall continue to remain in force till the date of their expiry, subsequent renewal of such trade certificates shall be as per amended rules.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 33, the following rule shall be substituted, namely: -

"**33. Condition for exemption from registration. —** For the purpose of the proviso to section 39, a motor vehicle in the possession of any manufacturer or dealer or importer of motor vehicle or testing agency specified under rule 126, shall be exempt from the necessity of registration, subject to the condition that such manufacturer or dealer or importer of motor vehicle or testing agency obtain a trade certificate from the registering authority having jurisdiction in the area in which the said manufacturer or dealer or importer of motor vehicle or testing agency have places of business, in accordance with the provisions of this Chapter**.**".

3. In rule 34 of the said rules, -

(i) in sub-rule (1), -

(a) after the words “trade certificate shall be made”, the words “electronically on the VAHAN portal” shall be inserted;

(b) after the words “fee as specified in rule 81”, the words “electronically” shall be inserted;

(c) the following proviso shall be inserted at the end, namely: -

“Provided that the application by a dealer of motor vehicle shall also be accompanied by a dealership authorisation certificate in Form 16A issued electronically on portal by the concerned manufacturer of motor vehicle”;

(ii) in sub-rule (2), the words “separate” shall be omitted;

(iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3) Numbers of trade registration marks required shall be specified in the application.”.

4. For rule 35 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: -

“35. Grant or renewal of trade certificate. —

(1) On receipt of an application for the grant or renewal of a trade certificate, the registering authority may, if satisfied, issue to the applicant trade certificate, electronically on portal, in downloadable and printable form in Form 17, within thirty days from the date of receipt of the application.

(2) If application is not disposed of within the said period of thirty days, the application shall be deemed to be approved and trade certificate shall be deemed to be granted or renewed through the portal.

(3) A trade registration mark shall be the trade certificate number followed by four digit numerals starting from 0001 to 9999, for example: AB 12 A 1234 TC 0001, in which, -

(i) AB—Represents State Code,

(ii) 12—Represents RTO Code,

(iii) A - Represents serial number of class of vehicle as prescribed in Rule 34(2) i.e. from A to J,

(iv) 1234- Represents four digit unique identification number to be assigned by the concerned authority to the holder of a trade certificate,

(v) TC—Represent trade certificate.

(4) No application for trade certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are given in writing.

(5) Trade certificate along with dealership authorisation certificate shall be exhibited at a conspicuous place at show room and workshop or service center.”.

5. After rule 35 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely: -

“**35A. Application for additional trade registration mark**. — (1) An application for the grant of additional trade registration mark shall be made electronically on portal in Form 17A to the registering authority which granted the trade certificate and shall be accompanied by the appropriate fee as specified in rule 81, to be paid electronically on the portal.

(2) On receipt of an application for the grant of additional trade registration mark in respect of a trade certificate, the registering authority may, if satisfied that the applicant holds a valid trade certificate and requires additional trade registration mark, issue to the applicant additional trade registration mark, in Form 17B within fifteen days from the date of receipt of the said application.

35B. Intimation of change of address of place of business in trade certificate. — (1) If the place of business specified in the trade certificate is changed, then the holder of trade certificate shall immediately intimate to the authority which granted the trade certificate, about such change, electronically on portal in Form 17C accompanied by the appropriate fee as specified in rule 81.

(2) On receipt of intimation of change of place of business, the registering authority shall, if satisfied that the applicant holds a valid trade certificate, record new address in the trade certificate.”.

6. Rule 37 of the said rules shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and

(a) in sub-rule (1) as so numbered, for the words “twelve months”, the words “five years” shall be substituted;

(b) after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(2) Trade certificate shall be integrated with dealership authorisation and on cancellation of dealership authorisation certificate by manufacturer of motor vehicles, the trade certificate shall automatically become invalid.".

7. Rule 38 of the said rules shall be omitted.

8. In rule 39 of the said rules, -

(a) in sub-rule (1), for the words and figures "the dealer or manufacturer of automobiles or automobiles ancillaries or a test agency specified in rule 126", the words "the holder of trade certificate" shall be substituted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(2) The trade registration mark shall be in white colour on red background as per dimensions specified in rule 51 and shall be exhibited on front and rear of a motor vehicle.".

9. In rule 40 of the said rules, in the heading, for the words "Restrictions on use of trade certificate or trade registration mark and number", the words "Restrictions on use of trade registration mark" shall be substituted.

10. In rule 40 of the said rules, -

(a) for the word "certificate", the words "registration mark" shall be substituted;

(b) for the words "certificate or the number", the words "trade registration mark" shall be substituted.

11. In rule 41 of the said rules, in the heading, for the words "Purposes for which motor vehicle with trade certificate may be used", the words "Purposes for which motor vehicle with trade registration mark may be used" shall be substituted.

12. In rule 41 of the said rules,

(a) for the words "trade certificate", the words "trade registration mark" shall be substituted;

(b) the clause (h) shall be omitted.

13. In rule 43 of the said rules, -

(a) in the heading, for the words "Register of trade certificate", the words "Register of trade registration marks" shall be substituted.

(b) in sub-rule (3), after the words "Form 19", the word "which" shall be inserted.

14. After rule 43 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely: -

"43A. Register of inventory. — Every dealer of motor vehicles holding a trade certificate shall maintain a register of inventory of motor vehicles electronically in Form 19A on the portal.

43B. Displaying vehicle price at show room. - Every dealer of motor vehicles holding a trade certificate shall display model wise vehicle sale price at conspicuous place in his business premises, displayed vehicle price shall be with bifurcation of all applicable taxes and fees.".

15. For rule 44 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: -

"**44. Suspension or cancellation of trade certificate.** – If the dealership authorisation certificate is cancelled by the manufacturer of motor vehicles or if the registering authority has reason to believe that the holder of any trade certificate has not complied with the provisions of rules 39 to 43B, the registering authority shall report the fact along with reasonable proof, to the head of the Motor Vehicles Department established under section 213 and the said head of the department may, after giving the holder of trade certificate an opportunity of being heard, suspend or cancel the trade certificate held by him.".

16. In rule 45 of the said rules,-

(a) the words "of the registering authority" shall be omitted;

(b) for the words "head of the Motor Vehicles Department established under section 213", the words "any authority authorised by the respective State Governments and Union territory Administrations in this respect" shall be substituted.

17. In rule 46 of the said rules, in sub rule (1), for the words "the registering authority", the words "the concerned authority" shall be substituted.

18. In rule 81 of the said rules, in the Table, for Sl. no. 1 and 2, and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1	Grant or renewal of trade certificate in respect of each trade registration mark or additional grant of each trade registration mark :		34(1), 35A(1)	
	(a) Motorcycle	Two thousand five hundred rupees		
	(b) Adapted vehicle	Five hundred rupees		
	(c) Others	Five thousand rupees		
2	Intimation for change of address of place of business in trade certificate	One thousand rupees	35B (1)	”.

19. In the said rules, for Form 16, the following Form shall be substituted, namely :-

“FORM 16

[See rule 34(1)]

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OR RENEWAL OF TRADE CERTIFICATE AND TRADE REGISTERATION MARKS

To

The Registering Authority,

…………………………….

…………………………….

I/We hereby apply for issue of/renewal of a trade certificate~~(s)~~:

1.	Applicant’s name	……………………………...
2.	Son / wife / daughter of	……………………………...
3.	Applicant’s full address (proof to be attached)	……………………………...
4.	Address of place of business (in case of dealers of motor vehicles):	
	(a) Address of show room	……………………………...
	(b) Address of workshop(s)/ Service center(s)	……………………………...
	(c) Address of godown for vehicles	……………………………...
5.	Whether the applicant is a manufacturer of motor vehicles or dealer of motor vehicles or a test agency specified under rule 126 of the said rules or importer of motor vehicles or any entity specified by central government, (In case applicant is dealer of motor vehicles, dealership authorisation certificate issued by vehicle manufacturer shall be submitted with application)	……………………………...

Sr. No.	Class of Vehicle	No. of Trade registration marks required	Fee amount paid	Receipt number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Declaration

I/we do hereby declare that the trade certificate is required by me / us for *bona fide* trade purpose.

Place…………………………….... Signature of the Applicant

Date…………………………….... or digital/e-signature of applicant

*Strike out whichever is inapplicable.

QR Code".

20. In the said rules, after Form 16, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM 16A

[See rule 34 (1)]

CERTIFICATE OF AUTHORISATION BY MANUFACTURER OF MOTOR VEHICLES

Dealership authorisation certificate number (to be auto generated through portal)

1. Name of Vehicle manufacturer: ………………………………………
2. Company registration number: ………………………………………….
3. GST registration number: ……………………………………………….
4. PAN: ………………………………………..
5. Address: …………………………………………
6. E- Mail address: ……………………………………….

We (Name of Vehicle manufacturer) having the above details hereby certify that we have appointed (name of dealer of motor vehicles) -----------as our authorised dealer for sale and service of motor vehicles of---------------------class manufactured by our company. Details of dealer authorised by us are as follows-

1. Name of dealer: ……………………………………………………………….
2. Mobile number(s) of dealer: ……………………………………………………………….
3. E-mail address of dealer: ………………………………………..
4. GST registration number of dealer………………………..
5. PAN of dealer………………………..
6. Address of place of business of dealer:

(a) Address of show room ……………………………………………………..

(b) Address of workshop(s)/ Service center(s)…………………………..

(c) Address of godown for vehicles……………………………………….

(d) State/UT-

(e) RTO code-

We hereby declare that to the best of our knowledge and belief, information furnished is true. We undertake to hold ourselves responsible for any inaccuracy or suppression of information and we also declare that dealer authorised by us has adequate place of business, sufficient infrastructure, tools and skilled manpower for servicing of vehicles. We also undertake that if at any time above dealership authorization is revoked by us, we will immediately cancel dealership authorisation certificate on the portal and intimate registering authority by whom the trade certificate is issued/ renewed.

Signature of vehicle manufacturer".

21. In the said rules, for Form 17, the following Form shall be substituted, namely :-

"FORM 17

[See rule 35(1)]

FORM OF TRADE CERTIFICATE AND TRADE REGISTRATION MARKS

Trade Certificate

1.	Trade certificate number	……………………………...
2.	Full name and address of certificate holder	……………………………...
3.	Address of place of business (in case of dealers of motor vehicles):	
	(a) Address of show room	……………………………...
	(b) Address of workshop(s)/ Service center(s)	……………………………...
	(c) Address of godown for vehicles	……………………………...
4.	Date of expiry of certificate	……………………………...

Sr. No.	Class of Vehicle	Dealership authorization certificate number (in case of dealer of motor vehicles)	No. of Trade registration marks allotted	Fee amount paid	Receipt number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0001 to ****		

Station……………………………...

Date……………………………...

Registering Authority (Digitally signed) Valid throughout India

QR Code".

22. In the said rules, after Form 17, the following Forms shall be inserted, namely: -

"FORM 17A

[See rule 35A (1)]

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF ADDITIONAL TRADE REGISTRATION MARKS

To

The Registering Authority,

…………………………….

I/We hereby apply for grant of additional Trade registration marks -

1. Applicant's name: ……………………………………………………………….

2. Son / Wife / Daughter of: ……………………………………………………………….

3. Applicant's full address-

4. Address of showroom (in case of dealers of motor vehicles) –

Sl. No.	Trade Certificate number	Validity of trade certificate	Class of vehicle	Number of trade registration marks allotted	Additional trade registration marks required	Amount of fee paid	Receipt number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				From Serial no.0001 to serial no. -			

Signature of the applicant or digital/ e-signature of applicant

FORM 17B

[See rule 35A (2)]

GRANT OF ADDITIONAL TRADE REGISTRATION MARKS

1. Full name and address of certificate holder...

2. Address of showroom (in case of dealers of motor vehicles) -

Sl. No.	Trade Certificate number	Class of vehicle	Additional trade registration marks allotted	Amount of fee paid	Receipt number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			From Serial no. – to serial no. -		

QR Code

Station..................................

Date......................................

Registering Authority

Digitally signed

Valid throughout India

FORM 17C

[See rule 35B (1)]

INTIMATION FOR CHANGE OF ADDRESS OF PLACE OF BUSINESS

To

The Registering Authority,

…………………………….

…………………………….

Address of place of Business recorded in trade certificate has been changed, I/We hereby request for recording changed address in trade certificate -

1. Applicant's name: ……………………………………………………………….

2. Son / Wife / Daughter of: ……………………………………………………………….

3. Applicant's full address

4. Address of place of Business (in case of dealers of motor vehicles):

(a) Address of show room -

(b) Address of workshop(s)/service center(s) -

(c) Address of godown for vehicles -

5. Trade certificate number--

6. Validity of Trade certificate-----------------------------------

Signature of the Applicant or digital
signature/ e signature of applicant".

23. In the said rules, Form 18 shall be omitted.

24. In the said rules, for Form 19, following Form shall be substituted, namely: -

"FORM 19

[See rule 43]

E- REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE HOLDER OF TRADE CERTIFICATE ON PORTAL

1. Dealer Name-
2. Dealer Show room address-
3. District-
4. State-
5. Trade certificate number-
6. Dealership authorization certificate number (in case of dealers of motor vehicles) -

Sr. No.	Class of motor vehicle	Chassis number of motor vehicle	Purpose for which vehicle sent out of premises	Driver's name	Driver's license no.	Date and hours of leaving the premises by the vehicle	Date and hours of return to premises or reaching destination by the vehicle	E-signature/digital signature of person authorized by holder of trade certificate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								".

25. In the said rules, after Form 19, the following Form shall be inserted, namely:-

"**FORM 19A**

[See rule 43A]

Digital Register of inventory to be maintained on VAHAN portal

1. Dealer Name-
2. Dealer Show room address-
3. District-
4. State-
5. Trade certificate number-
6. Dealership authorisation certificate number-

Sl. No.	Vehicle Class	Chassis number	Engine Number	Date of receipt of vehicle from manufacturer	Date of receipt of vehicle from another dealer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Name of dealer from whom vehicle is received	Date of transfer of vehicle to another dealer	Name of dealer whom vehicle is transferred	Date of submission of application for registration/ TR	Registration number /TR Number	

[F. No. RT-11036/193/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R.590(E), dated the 02nd June,1989 and last amended vide notification number G.S.R.660(E), dated the 26th August, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.16 19:52:25 +05'30'